संख्याः 1047/9–आ–4–97–289एन/95

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3.उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण लखनऊ/देहरादून/वाराणसी/गोरखपुर/मुरादाबाद/ इलाहाबाद/कानपुर/ आगरा/ बरेली व मेरठ।

आवास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 26 मई, 1997

विषयः पट्टागत भूमि पर निर्मित भवन को किराये पर आवंटित किये गये मामलों में फ्री–होल्ड हेतु मार्गदर्शन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल नीति में पट्टे की शर्त का उल्लंघन होने पर दण्डनीय दर पर फ्री–होल्ड किये जाने की व्यवस्था हे। कतिपय जनपदों से शासन से इस बिन्दु पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है कि जिन पट्टों में पट्टागत भूमि को किराये पर उठाये जाने पर प्रतिबन्ध है और पट्टेदार द्वारा पट्टागत भूमि पर निर्मित भवन को किराये पर उठाया गया है। ऐसे मामलों में पट्टे की शर्त का उल्लंघन मानते हुए दण्डनीय दर पर फ्री–होल्ड किया जाय अथवा सामान्य दर पर।

इस सम्बन्ध में विधिक परामर्श के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन पट्टों में पट्टागत भूमि को किराये (सबलेट) पर दिये जाने का प्रतिबन्ध है परन्तु पट्टागत भूमि पर निर्मित भवन को किराये (सबलेट) पर उठाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध अंकित नहीं है तो ऐसे मामलों में यदि सक्षम प्राधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के भवन को किराये पर उठाया गया है तो उसे उल्लंघन की श्रेणी में न रखा जाय तथा यदि पट्टे की किसी अन्य शर्त का उल्लंघन न हुआ हो तो सामान्य दर पर फ्री–होल्ड की कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव